प्रपत्र–4

परियोजना का नाम :– शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार कि0मी0 2 से 11 तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 1.8536 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 21.11.14 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री सुभाष चन्द वन क्षेत्राधिकारी कालसी रेज, एवं राजस्व विभाग की ओर से श्री सुरेश जिनाठा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र कनबुआ प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री सुनीत सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि, – हे0, सिविल एवं सोयम वन भूनि, **1.8536** हे0, एवं नाप भूमि **5.1464** हे0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वन सिविल भूमि में **42** वृक्षों व नाप भूमि पर **458** वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(सुभाष चन्द) वन क्षेत्राधिकारी रेन्ज कालसी	(यशपाल सिंह) वन दरोगा रेंज कालसी	(विनोद कुमार लखेडा) वन बीट अधिकारी रेंन्ज कालसी
(सुनीत सिंह) सहायक अभियन्ता अ0ख0लो0नि0वि0 सहिया	(ब्रहम दत्त) कनिष्ठ अभियन्ता अ0ख0 लो0नि0वि0 सहिया	(सुन्दर सिंह) अमीन अ0ख0 लो0नि0वि0 सहिया

District Magistrate
Dehra Dun.

(एम0एस0 परमार)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
सहिया

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी रीवर राजि डाकपत्थर

पत्रांक- मेमो /12 डाकपत्थर, दि0- 10 जनवरी 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग,
सहिया।

विषयः— शम्भू की चौकी से दुधऊ पंजियॉ, बनसार ठुरऊ तक प्रस्तावित सर्म्पक मोटर मार्ग के संयुक्त निरीक्षण के सम्बंध में।

संन्दर्भः— प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग के पत्रांक 2170/12—1 दिनॉक 1—11—2014,

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के कम में अवगत कराना है कि आपके संन्दर्भित पत्र के अनुपालन में दिनॉक 21—11—2014 के कम में शम्भू की चौकी से दुधऊ पंजियॉ, बनसार ठुरऊ तक प्रस्तावित मोटर मार्ग तक का संयुक्त निरीक्षण किया गया उसके पश्चात उसमें बाधित वृक्षो की गणना कर सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का प्रस्ताव तैयार कर प्रभागीय कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

संलग्नकः— 1. संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट
2. बाधित वृक्षो की गणना सूची
3. बाधित वृक्षो की मूल्यांकन रिर्पोट

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि डाकपत्थर

प्रतिलिपिः— प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग, चकराता को द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि डाकपत्थर

संयुक्त निरीक्षण रिर्पोट

आज दिनॉक 21–11–2014 को प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग के पत्रांक सं0 2170 / 12–1 दिनॉक –1–2014 के अनुपान में शम्भू की चौकी से दधौऊ पंजियॉ बनसार द्रुरऊ तक कि0मी0 2 से 11 तक प्रस्तातिवत सर्म्पक मोटर मार्ग लम्बाई 7.0007 किमी0 व चौडाई 7 मी0 का निर्माण कार्य हेतू संयुक्त निरीक्षण लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारी / कर्मचारियों के साथ सयुक्त निरीक्षण किया गया जिसनें निम्न अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए।

1– श्री ब्रहमदत्त कनिष्ठ अभियन्ता लोक निमार्ण विभाग सहिया।
2– श्री सुन्दर सिंह चौहान अमीन लौक निमार्ण विभाग सहिया।
3– श्री यशपाल सिहं वन दरोगा रीवर रेंज चकराता वन प्रभाग
4– श्री विनोद कुमार वन बीट अधिकारी नागथात

लोक निर्माण विभाग, सहिया जिला देहरादून द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग शम्भू की चौकी से दधौऊ पंजियॉ बनसार द्रुरऊ सर्म्पक मार्ग तक पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है। उक्त सर्म्पक मार्ग का पेन्ट से सीमाकंन 10 कि0मी0 चौडाई 7 मी0 में किया गया है।

क0सं0	भूमि का प्रकार	लम्बाई(मी0में)	चौडाई(मी0में)	क्षेत्रफल(है0में)
1–	सिविल भूमि	2648	7 मी0	~~1.8536~~ (1.8536)
2–	नाप भूमि	7352	7 मी0	~~6.617~~ 5.1471
3–	आरक्षित वन	—	—	—
	योगः–	10000	7 मी0	~~0.000 है0~~ 7.0007

1– प्रस्तावित मोटर मार्ग 10.00 किमी0 (सिविल, नाप भूमि) ~~वृक्ष विहीन~~ है। बाधित वृक्षो की गणना सूची रिर्पोट पृथक से संलग्नक है।
2– प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन केवल मोटर मार्ग के निर्माण हेतू किया जाये।
3– प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नही पहुॅचाई जायेगी।
4– प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवा को अनियत्रित रूप से नही फेका जायेगा, तथा इसके नियन्त्रण हेतू मक डिस्पोजल प्लान बनाकर उसका अनुपालन करना होगा।
5– प्रस्तावित भूमि का हस्तान्तरण के उपरान्त भूमि वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
6– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतू याचक विभाग ग्राम सभा से प्रस्ताव प्राप्त कर वृक्षारोपण क्षेत्र उपलब्ध कराना होगा।
7– प्रस्तावित मोटर मार्ग किसी पार्क एवं अभ्यारण्य का हिस्सा नही है।
8– प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान श्रमिको को ईधन आपूर्ति याचक विभाग को करनी होगी।

(ब्रहमदत्त)
कनिष्ठ अभियन्ता
अ0ख0,लो0नि0वि0,सहिया

(सुन्दर सिंह चौहान)
अमीन
अ0ख0,लो0नि0वि0,सहिया।

( )
राजस्व उपनिरीक्षक

(यशपाल सिंह)
वन दरोगा,
चकराता वन प्रभाग

(विनोद कुमार)
व0बी0अ0
चकराता वन प्रभाग

(सुभाषचन्द्र)
वन क्षेत्राधिकारी
रीवर राजि डाकपत्थर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता (देहरादून)